दिनांक 05 अप्रैल 2020, कोविड-19 रोगियो के उपचार/निदान/क्वारंटाइन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट के हैंडलिग, उपचार और निपटान के लिए दिशानिर्देश

संशोधन 1:

कोविड-19 रोगियो के उपचार/निदान/क्वारंटाइन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट के हैंडलिग, उपचार और निपटान के लिए दिशा–निर्देश

25 मार्च, 2020

(दिनांक 19 मार्च, 2020 को सीपीसीबी वेबसाइट पर पूर्व अपलोड दिशा–निर्देशों के संदर्भ में)

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर

दिल्ली–110032

कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसमें क्वारंटाइन केंद्र/शिविर, आइसोलेशन वार्ड, नमूना संग्रह केंद्र और प्रयोगशालाओं की स्थापना शामिल है।

कोविड-19 संदिग्ध/पुष्ट रोगियो के उपचार और निदान के दौरान उत्पन्न कचरे के प्रबंधन के लिए विशिष्ट दिशा–निर्देशों का अनुपालन आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटाइन केंद्र, नमूना संग्रह केंद्र, प्रयोगशालाओं, यूएलबी और सामान्य बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार सहित सभी हितधारकों द्वारा बीएमडब्ल्यू प्रबंधन नियम, 2016 के तहत मौजूदा पद्धति के अलावा अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

ये दिशा–निर्देश कोविड-19 पर वर्तमान ज्ञान तथा वायरल और अन्य संक्रामक रोगो जैसे एचआईवी, एच1 एन1 आदि का उपचार करते समय अस्पतालों में उत्पन्न संक्रामक कचरे के प्रबंधन में अपनाई जाने वाली मौजूदा पद्धति पर आधारित हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये दिशा–निर्देश अपडेट किए जाएंगे। दिशा–निर्देशों का यह संशोधन–1 मुख्यत:

क्वारंटाइन होम या होम केयर यूनिट/क्वारंटाइन होम देखभालकर्त्ता या क्वारंटाइन कैंपस की गतिविधियों का संचालन करने वाले व्यक्तियो की विशिष्ट आवश्यकताओ और जिम्मेदारियो को शामिल करने तथा क्रमशः वर्ग (ग) और (घ) के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के उत्तरदायित्वों को भी शामिल करने के लिए किया गया है।

विशिष्ट प्रावधान सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाएं (सीबीडब्ल्यूटीएस) के लिए नहीं बल्कि राज्यों के लिए भी हैं, जो कि कोविड-19 कचरे के प्रबंधन के लिए खतरनाक अपशिष्ट भस्मक पदार्थों को निपटने की अनुमति प्रदान करते है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र और अन्य संबंधित एजेंसियो द्वारा समय–समय पर बताए गए दिशा–निर्देशों को भी उजागर करता है।

स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्रों, क्वारंटाइन शिविरों/क्वारंटाइन–होम/होम–केयर, नमूना संग्रह केंद्रों, प्रयोगशालाओं, एसपीसीबी/पीसीसी, यूएलबी और सीबीटीटीएफ में कोविड–19 कचरे से निपटने, उपचार और निपटान के लिए दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं;

(क) कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड:

स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्रों में कोविड-19 रोगियों के लिए आइसोलेशन वार्ड हैं, जिन्हें उपचार के दौरान उत्पन्न बायोमेडिकल कचरे के सुरक्षित संचालन और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करने की आवश्यकता है;

–वार्डों में अलग–अलग रंग के कोविड बिन/बैग/कंटेनर रखे जाएगें तथा बीएमडब्लूएम नियम, 2016 के अनुसार कचरे के उचित पृथक्करण को बनाए रखा जाएगा और बीएमडब्ल्यू प्रबंधन नियमो को लागू करने के लिए सीपीसीबी दिशा–निर्देशों को संशोधित किया जा सकता है।

– एहतियात के तौर पर कोविड-19 आइसोलेशन वार्डों से कचरे के संग्रह के लिए डबल लेयर्ड बैग (दो बैग) का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि पर्याप्त मज़बूती और रिसाव रहित (नो–लीक) सुनिश्चित हो सकें;

– सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाएं (सीबीडब्ल्यूटीएस) को सौंपने से पहले बायोमेडिकल कचरे को अलग से इकट्ठा और संग्रहण किया जाएगा। बिन पर "कोविड-19" का लेबल लगाकर उसमे कचरा संग्रह किया जाएगा। कोविड-19 कचरे को संग्रहीत करने और सीबीडब्ल्यूटीएस के अधिकृत कर्मचारियों को सौंपने से पहले अस्थायी भंडारण कक्ष में अलग से रखा जाएगा। आइसोलेशन वार्ड में एकत्र किए गए बायोमेडिकल कचरे को वार्ड से सीधे सीबीडब्ल्यूटीएस कलेक्शन वैन में भेजा जा सकता है।

– इसके अलावा कचरा इकट्ठा करने वाले बैंग/कंटेनर पर लेबलिग की जानी चाहिए विशेषकर कोविड-19 वार्डों से बायोमेडिकल कचरे को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बैग/कंटेनरों पर "कोविड-19 अपशिष्ट" का लेबल लगाया जाना चाहिए। यह लेबलिग सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान (सीबीडब्ल्यूटीएस) कचरे को तुरंत प्राथमिक उपचार और निपटान के लिए आसानी से कचरे की पहचान करने में सक्षम करेगा।

– संदूषण न करने वाले सामान्य कचरे को एसडब्ल्यूएमनियम, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट के रूप में निपटाया जाना चाहिए;

- कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड से उत्पन्न कचरे का अलग रिकॉर्ड बनाए रखें।

- कोविड-19 आइसोलेशन वार्डों में समर्पित ट्रॉलियों और संग्रहण के डिब्बे का उपयोग करें। इन वस्तुओं पर एक लेबल "कोविड-19 अपशिष्ट" भी चिपकाया जाना चाहिए।

कोविड-19 कचरे के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले कंटेनर/डिब्बे/ट्रॉलियो की सतह (आंतरिक और बाहरी) की सतह को रोजाना एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल से कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।

- क्षेत्र में स्थित एसपीसीबी और संबंधित सीबीडब्ल्यूटीएस को कोविड-19 वार्ड और कोविड सघन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) वार्ड के शुरूआत या संचालन की रिपोर्ट।

- बायोमेडिकल कचरे और सामान्य ठोस कचरे के लिए अलग से समर्पित सफाई कर्मचारियों की तैनाती करना ताकि कचरे को एकत्र किया जा सकेन और अस्थायी अपशिष्ट भंडारण क्षेत्र में समय पर स्थानांतरित किया जा सकें।

(ख) कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के लिए नमूना संग्रह केंद्र और प्रयोगशालाएं

एसपीसीबी संबंधित कोविड–19 नमूना संग्रह केंद्रों और प्रयोगशालाओं की शुरूआत या संचालन की रिपोर्ट करना। आइसोलेशन वार्डों के लिए खंड (क) में दिए गए दिशा–निर्देश परीक्षण केंद्रों और प्रयोगशालाओं पर भी लागू किए जाने चाहिए।

(ग) क्वारंटाइन कैंपस/होम आइसोलेशन या होम–केयर फैसिलिटी का संचालन करने वाले व्यक्तियों के उत्तरदायित्व*

- क्वारंटाइन कैंपस/क्वारंटाइन होम/होम–केयर फैसिलिटी से बायोमेडिकल कचरे की कम मात्रा की अपेक्षा की जाती है। हालांकि संदिग्ध कोविड-19 व्यक्तियों सहित क्वारंटाइन कैंपस/केंद्र/होम–केयर के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों

को सुरक्षित संचालन और कचरे के निपटान को सुनिश्चित करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करने की आवश्यकता है;

- क्वारंटाइन केंद्रों या कैंपस से उत्पन्न सामान्य ठोस अपशिष्ट (घरेलू अपशिष्ट) को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पहचाने जाने वाले अपशिष्ट कलेक्टर को या सामान्य ठोस कचरे के निपटान के प्रचलित स्थानीय तरीके के अनुसार सौंपा जाना चाहिए।

- बायोमेडिकल कचरा यदि क्वारंटाइन केंद्रों/कैंपस से उत्पन्न कचरे को शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा प्रदान की गई कोई भी पीले रंग के बैग (बायोमेडिकल कचरा संग्रह के लिए उपयुक्त) में अलग से एकत्र किया जाना चाहिए। इन बैग को उपयुक्त आकार के अलग और समर्पित डस्ट-बिन में रखा जाना चाहिए।

क्वारंटाइन केंद्रों/केंद्रों को संचालित करने वाले व्यक्तियों को बायोमेडिकल कचरा उठाने के लिए सीबीडब्ल्यूटीएफ ऑपरेटर को कॉल करना चाहिए। सीबीडब्ल्यूटीएफ के संपर्क की जानकारी स्थानीय अधिकारियों के पास उपलब्ध होंगी।

-किसी भी संदिग्ध या कोविड-19 रोगियों से ठीक हुए व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित कचरे सहित क्वारंटाइन केंद्रों/होम केयर करने वाले व्यक्तियों को बायोमेडिकल कचरा जमा करना चाहिए, इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) की निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए;

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अधिकृत अपशिष्ट कलेक्टरों को दरवाजे पर लगे बायोमेडिकल कचरे वाले पीले बैग सौंपें जाने चाहिए; या

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित नामित निक्षेपण केंद्रों पर पीले बैग में बायोमेडिकल कचरा जमा करें। बैग को फिर से पीले बैग या कंटेनर में संग्रहीत किया जाना चाहिए; या

- अपशिष्ट कलेक्टर को दरवाजे पर सीबीडब्ल्यूटीएफ ऑपरेटर को बायोमेडिकल कचरा देना चाहिए।

- ठोस अपशिष्ट या बायोमेडिकल कचरे के निपटान के लिए सेवाएं प्राप्त करने में किसी भी कठिनाई के मामले में, क्वारंटाइन कैंम्पस/ केंद्रों/ क्वारंटाइन होम के का संचालन करने वाले व्यक्तियों को शहरी स्थानीय निकाय को रिपोर्ट करना चाहिए।

स्पष्टीकरण:

– क्वारंटाइन कैंम्पस/क्वारंटाइन होम/होम केयर ऐसे स्थान हैं जहां कोविड–19 संदिग्ध लोग या संदिग्ध/पुष्टि मामलो का संपर्क होता हैं, जो कि अधिकृत अस्पतालों या स्थानीय अधिकारियों के निगरानी में होते है उन्हें कोविड-19 से संबंधित किसी भी लक्षण के अवलोकन के लिए कम से कम चौदह दिनों तक घर पर रहने का निर्देश दिया गया होता है।

– कोविड-19 के लिए सकारात्मक रोगियो का उपचार क्वारंटाइन कैंम्पस/क्वारंटाइन होम/होम केयर में नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी स्थिति को राज्य/केंद्र सरकारों द्वारा अधिसूचित नहीं किया जाता है।

– क्वारंटाइन कैंम्पस/होम–केयर में बायोमेडिकल वेस्ट में उपयोग की गई सीरिज, डेट एक्सपायर्ड या डिसाइड मेडिसिन, यूज्ड मास्क/ग्लव्स शामिल होंगे और क्रोनिक रोगो से पीड़ित रोगियो में ड्रेन बैग्स, यूरीन बैग्स, बॉडी फ्लूड या ब्लड सोक्ड टिश्यूज/ कोटन, खाली छोटी शीशी आदि भी शामिल हो सकते हैं

– क्वारंटाइन कैंम्पस/क्वारंटाइन होम/होम केयर से उत्पन्न बायोमेडिकल अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत परिभाषित 'घरेलू खतरनाक अपशिष्ट' के रूप में माना जाएगा और जैव रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और इन के तहत प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार निपटाया जाएगा।

क्वारंटाइन कैंम्पस/क्वारंटाइन होम/होम केयर से उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों, 2016 के प्रावधानो के अनुसार किया जाएगा।

[* दिनांक 24 मार्च, 2020 के दिशा–निर्देशो 1 में संशोधित]

(घ) सामान्य बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधा (सीबीडब्ल्यूटीएफ) के कर्तव्य:

–कोविड-19 आइसोलेशन वार्डो/क्वारंटाइन कैंम्पस/क्वारंटाइन होम/कोविड-19 परीक्षण केंद्रों से अपशिष्ट लेने के बारे में एसपीसीबी/पीसीसी को रिपोर्ट करें;

– सीबीडब्ल्यूटीएफ का संचालक जैव चिकित्सा अपशिष्ट के हैंडलिंग और संग्रह में शामिल कर्मियों की नियमित स्वच्छता को सुनिश्चित करेगा;

कर्मियों को पर्याप्त पीपीई प्रदान किया जाएगा जिसमें तीन लेयर मास्क, स्प्लैश प्रूफ एप्रन/ गाउन, नाइट्राइल गल्व्स, गम बूट और सुरक्षा चश्मे शामिल हैं;

– कोविड-19 वार्ड कचरे को इकट्ठा करने के लिए समर्पित वाहन का उपयोग करें। ऐसे वाहनों पर अलग से लेबल लगाना आवश्यक नहीं है;

– वाहन को हर यात्रा के बाद सोडियम हाइपोक्लोराइट या किसी उपयुक्त रासायनिक कीटाणुनाशक से साफ किया जाना चाहिए।

– सुविधा केंद्र से कचर मिलने पर कोविड-19 कचरे का तुरंत निस्तारण किया जाना चाहिए।

– यदि कोविड-19 उपचार से उत्पन्न बायोमेडिकल कचरे की अधिक मात्रा का उपचार और निपटान करना आवश्यक है, तो सीबीडब्ल्यूटीएफ, एसपीसीबी/पीसीसी को सूचना देकर अतिरिक्त घंटों के लिए अपनी सुविधाओं का संचालन कर सकता है।

– सीबीडब्ल्यूटीएफ का संचालक कोविड-19 कचरे के संग्रहण, उपचार और निपटान का अलग से रिकॉर्ड रखेगा।

- रोग के लक्षण दिखने वाले किसी भी कर्मचारी को सुविधा केंद्र में काम करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन और वेतन भत्ता प्रदान किया जाएगा।

(ड़) एसपीसीबी/पीसीसी के कर्तव्य

- संबंधित राज्यों में कोविड-19 उपचार वार्ड/क्वारंटाइन केंद्र/क्वारंटाइन होम के रिकॉर्ड बनाए रखना।

- बीएमडब्ल्यू नियम, 2016 और इसके मार्गदर्शक दस्तावेज के एसओपीएस के अनुसार उचित संग्रह और बायोमेडिकल कचरे का निपटान सुनिश्चित करना;

- आवश्यकतानुसार अतिरिक्त घंटों के लिए सीबीडब्ल्यूटीएफ को संचालित करने की अनुमति देना;

- क्वारंटाइन कैंम्पस के प्राधिकरण पर जोर नहीं दे सकते क्योंकि ऐसी सुविधाएं स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में योग्य नही हैं। हालांकि, सीबीडब्ल्यूटीएफ को आवश्यकता पड़ने पर बायोमेडिकल कचरा एकत्र करने की अनुमति दे सकता है;

- राज्यो के साथ–साथ ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में सीबीडब्ल्यूटीएफ की सुविधा न होने की स्थिति में बीएमडब्ल्यू नियम, 2016 और इसके दिशानिर्देशो के तहत प्रावधानो के अनुसार किसी भी अस्पताल की मौजूदा सुविधाओं को कोविड–19 के निपटान के लिए चिहित किया जा सकता है।

- कोविड- 19 कचरे के पर्याप्त संग्रह और निपटान करने में सीबीडब्ल्यूटीएफ और यूएलबी के साथ समन्वय करना।

- येलो कलर कोडित (जलाकर नष्ट करना) कोविड-19 कचरे के अधिक मात्रा में उत्पादन के मामले में मौजूदा टीएसडीएफ में एचडब्ल्यू भस्म को संभालने और अपशिष्ट के लिए अलग व्यवस्था सुनिश्चित करके इसे जलाए जाने की अनुमति देता है।

(च) शहरी स्थानीय निकायों+के कर्तव्य

क्वारंटाइन कैंम्पस/क्वारंटाइन होम/कोविड–19 संदिग्ध व्यक्तियों के लिए होम केयर से उत्पन्न अपशिष्ट के मामले में शहरी स्थानीय निकाय बायोमेडिकल कचरे का सुरक्षित संग्रह और निपटान सुनिश्चित करेगें।

- प्रत्येक क्वारंटाइन कैंम्पस/क्वारंटाइन होम/होम–केयर पर जानकारी स्थानीय प्रशासन के पास उपलब्ध होनी चाहिए और समय–समय पर एसपीसीबीको अद्यतन सूची प्रदान करनी चाहिए;

- क्वारंटाइन कैंम्पस के मामले में सुनिश्चित करना कि यूएलबी द्वारा चिहित सीबीडब्ल्यूटीएफ द्वारा सीधे बायोमेडिकल कचरा एकत्र किया जाता है। जब भी बायोमेडिकल वेस्ट उत्पन्न हो जाता है, कॉल के आधार पर सीबीडब्ल्यूटीएफ द्वारा क्वारंटाइन कैंम्पस से अपशिष्ट उठाया जाएगा। क्वारंटाइन कैंम्पस में सीबीडब्ल्यूटीएफ ऑपरेटर के संपर्क विवरण प्रदान करना;

- सीबीडब्ल्यूटीएफ के कर्मचारियों को प्राधिकार सहित आवश्यक सहायता और सुरक्षा प्रदान करना;

- शहरी स्थानीय निकाय/यूएलबी क्वारंटाइन होम/होम केयर या अपशिष्ट डिपाज़ित केंद्रों से एकत्र बायोमेडिकल कचरे के अंतिम निपटान के लिए सीबीडब्ल्यूटीएफ ऑपरेटर को शामिल करेगा या स्थानीय स्थिति के आधार पर आवश्यक हो सकता है; यूएलबी इस संबंध में सीबीडब्ल्यूटीएफ के साथ करार करेगा।

यूएलबी ने क्वारंटाइन होम/होम केयर से बायोमेडिकल कचरे के सुरक्षित संग्रह और निपटान की सुविधा के लिए निम्नलिखित विकल्पों की परिकल्पना की है;

क) बायोमेडिकल वेस्ट के डोर स्टेप्स कलेक्शन के लिए अधिकृत वेस्ट कलेक्टरों को शामिल करना और सीबीडब्ल्यूटीएफ द्वारा आगे पिक-अप के लिए कलेक्शन पॉइंट्स में ट्रांसफर करना;

ख) यदि क्वारंटाइन होम/होम केयर यूनिट की संख्या कम है, तो यूएलबी डोर स्टेप्स से सीधे कचरे को एकत्र करने के लिए सीबीडब्ल्यूटीएफ की सेवाओं को शामिल कर सकता हैं।

- क्वारंटाइन कैंम्पस या होम केयर के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को पीले रंग के बैग (बीएमडब्ल्यू के लिए नामित) प्रदान करना। ज़रूरत पड़ने पर ऐसे बैग सीबीडब्ल्यूटीएफ के माध्यम से उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

- शहरी स्थानीय निकाय/यूएलबी डोर स्टेप्स या अपशिष्ट डिपाज़ित केंद्रों में अधिकृत अपशिष्ट कलेक्टरों के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे;

O कर्मियों की एक अलग टीम बनाए जो कि अपशिष्ट डिपाज़ित केंद्रों या क्वारंटाइन होम या होम केयर में डोर स्टेप अपशिष्ट एकत्र (वेस्ट कलेक्शन) करेगें।

O सुनिश्चित करें कि केवल नामित कर्मचारी क्वारंटाइन होम या होम केयर से बायोमेडिकल अपशिष्ट एकत्र करें।

O स्वच्छता के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना जैसे कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट संग्रह के बारे में तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट संभालने के लिए एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए।

O स्वच्छता के तरीकों सहित बायोमेडिकल अपशिष्ट संभालने के बारे में कचरा कलेक्टर को प्रशिक्षण देना। सीबीडब्ल्यूटीएफ ऑपरेटरों के माध्यम से अपशिष्ट कलेक्टरों को प्रशिक्षण किया जाना चाहिए;

o क्वारंटाइन होम या होम केयर केंद्रों से अपशिष्ट संभालने और संग्रहण में संलग्न कर्मचारियों को पर्याप्त कार्मिक सुरक्षा उपकरण जैसे तीन परत मास्क, छप प्रूफ एप्रन/गाउन, भारी शुल्क दस्ताने, गम जूते और सुरक्षात्मक काले चश्मे प्रदान किए जाएगें। इन पीपीई को क्वारंटाइन केंद्र/क्वारंटाइन होम/होम केयर/अपशिष्ट डिपाज़ित केंद्रों से अपशिष्ट एकत्र करते समय हर समय पहना जाना आवश्यक है ।

o बायोमेडिकल अपशिष्ट के परिवहन के लिए समर्पित कार्ट/ट्रॉली/वाहनों का उपयोग करना। वाहनों को हर यात्रा के बाद एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट से साफ़ किया जाना चाहिए।

o सुनिश्चित करें कि, क्वारंटाइन केंद्र या होम केयर पर पहुंचने वाले अपशिष्ट कलेक्टर पीले बैग के लिए उपयोग किए जाने वाले बिन पर कीटाणुनाशक (एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट समाधान) स्प्रे करेंगे।

– बायोमेडिकल अपशिष्ट संग्रहण के लिए सामान्य अपशिष्ट डिपाज़ित केंद्र (जैसा कि एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के तहत निर्धारित) स्थापित करना। इस उद्देश्य के लिए मौजूदा ढलाव, यदि कोई हैं, तो उसे उपयुक्त रूप से परिवर्तित किया जा सकता है।

– क्वारंटाइन केंद्र या होम केयर से एकत्र सामान्य ठोस कचरे का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

– सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाएं (सीबीडब्ल्यूटीएस) और सीबीडब्ल्यूटीएफ से जुड़े कर्मचारियों की सेवाओं को कोविड–19 आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटाइन कैंम्पस आदि सहित अस्पतालों से उत्पन्न बायोमेडिकल कचरे के संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान के लिए सीबीडब्ल्यूटीएफ से जुड़े कर्मचारियों को स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में एक आवश्यक सेवा माना जाएगा।

– सीबीडब्ल्यूटीएफ के सुचारू संचालन की सुविधा।

[दिनांक 24 मार्च, 2020 पूर्व अपलोड दिशा–निर्देशों के संदर्भ में]